

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका,दुर्ग (छ.ग.). 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

क्र. **/ 4877 /** अका. **/** 2022

दुर्ग, दिनांक 08 /06/2022

प्रति,

प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दूर्ग (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर के संबंध में।

- संदर्भ :-- (01) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी--3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का **पत्र कमांक** 2935/760/आउशि/सम/2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022
 - (02) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का पत्र कमांक 2937/761/आउशि/सम/2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022

- - - 00 - - -

विषयान्तर्गत संदर्भित के तारतम्य में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए छ.ग. शासन उच्च शिक्षा संचालनालय से प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त एवं अकादमिक कैलेण्डर संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि मूलतः संलग्न है।

उपर्युक्तानसुार संलग्नित पत्र मे दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

दुर्ग, दिनांक *08* / 06 2022

पृ. क्र. / **4878** / अका. / 2022 प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. उपकुलसचिव, प्रवेश / परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ प्रेषित।

सहा. कुलसचिव (अका.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक २७३५/ ७६० / आउशि / सम. / २०२२

प्रति

 कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ़।

 प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सन्न 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना

सुनिश्चित करें ।

3502

संलग्न – उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचॉलक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक <u>.07,06/2022</u>

पृ.कमांक२९३६/न६०/आउशि/ सम/2021 प्रतिलिपि :--

- 1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च षिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर/दूर्ग की ओर सूचनार्थ।

:6.2022

अपर संचालैक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1129

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर

----00-----

एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022 क्रमांक प्रति

> आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय. इंद्रावती भवन. नवा रायपूर अटल नगर, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका विषय:--सिद्धांत तैयार करने बाबत।

आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917 / 760 / 761 / आउशि / सम. / 2022 दिनांक 31.05. संदर्भः-2022

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये 2/ शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेत् निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान) अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2

प्रतिलिपिः–

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर। 1. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 2.

- नगर, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल। 3.

अवर स छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

S NOIL

542



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति :--

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। 'प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
- 2. प्रवेश की तिथि :--
- 2.1 प्रवेश हेत् आवेदन पत्र जमा करना :--

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--
 - 1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सन्न के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

-1-

ton

243

244

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :--

7-

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रकिया में सी.बी.एस.सी. / आई.सी.एस.सी. वोर्ड एंव अन्य वोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे। स्पष्टीकरण :--

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी मी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :- विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में रखान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :--
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा

विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।" 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन

अभुमाग (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। अनुभाग अधिकारी

-2-

न्व शिक्षा विभाग, मंत्रालय तन नगर, मिवेगी तथेपर हिंस MARGDARSHIKA 2022-23

- .3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :--
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण—पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100 / – अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 ''राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययूनरत् स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

abiting नभाग अधिकार उच्च शिक्षा विमाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

- 3 -

प्रवेश की पात्रता :--

1.

- 5% निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--
 - (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात्
 ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :--
 - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो / गणित समुह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
 - (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--
 - (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

- 4 -

246

247

- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :--
 - रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :--
 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--
 - (क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''
- 5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- समकक्ष परीक्षा :--
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसँगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी भिग्ण विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस ताम अधिकारा

- 5 -

च्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ल नगर, निवा रायपुर किर्मा RGDARSHIKA 2022-23 आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3

सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषय़ों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1—52/2013 (सीसी/ एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार —

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रतर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.-सी. / बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय

- 6 -

रटल नगर, नवा रायपुर (छ ग.) MAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23 आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

149

छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--
- 8.1 <u>स्नातक स्तर</u> की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :--

.0

7.2

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगाभी वर्ष/वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल

अनुर्भाग अधिकारी उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर छि ग्रोत्य darshika 2022-23 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2

1

.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :--
 - (क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतू गुणानुकम का निर्धारण :--

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेत् प्राथमिकता :--
- 11.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

- 8 -

भाग अधिकारी व शिक्षा विभाग, मंत्रालय

THAT THAT THAT THE AUTO MARGDARSHIKA 2022-23

251

_

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने

ं वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।


- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :--
 - (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ—साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्भिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय---समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के **पुत्र—पुत्रियों, पौत्रै, पौत्रियों और नाती/नातिन** के लिये <u>3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।</u> निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्वान आरक्षित रहेगें ।

र सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

-9-



12.3

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आंपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

25.1-

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया 12.7 जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। 12.8

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 12.9 निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत 12.10 सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिमार :--13.

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

- एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स 13.1
 - स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(प <i>)</i> (ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(9)	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	
		04 प्रतिशत

- "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (刊)
- राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता (घ) में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को

नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़

04 प्रतिशत

05 प्रतिशत

(च) के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने माग आधकारी शिका विभाग, मंत्रालय - 10 -

हल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

12.6

2.5

Ì

वाले विद्यार्थी को

- राज्यपाल स्काउट्स (ন্ত)
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

(य)

छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट (झ)

- 05 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत
- ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में (र) भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत 10 प्रतिशत

- आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर 13.2 कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
- खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :--13.3
 - लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर (1)जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :--
 - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (क) 02 प्रतिशत
 - व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ख) 04 प्रतिशत
 - उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित (2)अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :--

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय,	भारत सरकार द्वारा
	आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :	

- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त (क) 15 प्रतिशत करने वाले को
- प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम (ख) 12 प्रतिशत के सदस्यों को

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत अनुभाग अधिकीरी च्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

ल नगर, नवा संयुद्ध (छ ग) 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्वरल

एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/

- 11 -

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

10 प्रतिशत

253

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सवस्यों को

- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में --
 - (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत सदस्य को

154

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की
 12 प्रतिशत
 टीम के सदस्यों को

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :--

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में तीचे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :--

- (1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण—पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण—पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण—पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :--

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

आधकार उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

1,1

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साध्य सहपठित करते हुए लागू होगा।

- 16 विशेष :--
- 16.1 जाली प्रमाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन

/ संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

- 13 -

अनुमाग अधिकारी स्व शिक्षा विभाग, मंत्रालय स्व नगर, नवा रायपुर (छ.ग्र.)

FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

7'

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक २७७३न/761/आउशि/सम./2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक...०.न ७६ २७२२ प्रति,

> कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।

 प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक । संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17–83/2018/38–2 दिनांक 06.06.2022

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

-00----

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः - उपरोक्तानुसार

00/3503

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.कमांक/२७38 /**२६**/आउशि/ सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ७२/७६/२७२२ प्रतिलिपि :--

- अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

6.2022 अपर संचलिक उच्च शिक्षा संचालनालय. नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

ettice ARLACO)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1130

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयःः महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 06/8/2022 प्रति,

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः— शैक्षणिक सन्न 2022—23 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक। संदर्भः— आपका प्रस्ताव कमांक 2917 / 760 / 761 / आउशि / सम. / 2022 दिनांक 31.05. 2022

.....00......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, के अंतर्गत संचालित छ.ग. के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- यथोपरि।

अवर सचिव () छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,

क्रमांक एफ 17—83 / 2018 / 38—2 प्रति,

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित

4. गार्ड फाईल।

अंवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सन्न 2022–23 का अकादमिक केलेण्डर

Ā.	. विवरण तिथियाँ		तिषियाँ		
1	प्रवेश !	रकिया (महाविद्यालय स्तर पर)			
	(क)	रनातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2022 对 16.08.2022 可小		
	(অ)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 विन के भीतर		
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाः	इन पद्धति से		
2	कुलपरि	ते की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	26 अगस्त, 2022 तक		
3	नियमि	त कक्षायें प्रारंभ	01.07.2022 से		
4	वार्षिक	परीक्षाओं का आयोजन	11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023		
5	सभी व	र्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2023 तक		
6	पुनर्मूल्र	गंकन के सभी परिणामों की घोषणा	31.08.2023 तक		
7	पूरक प	रीक्षा का आयोजन	न्यूनतम समय में		
8	पूरक प	रीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2023 तक		
9	छात्रसंग	व गतिविधियाँ			
	(क)	छात्रसंघ गढन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022		
2			छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार		
10	खेलकू	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :			
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से		
2	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 तक		
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन		
11					
	(क)	वृक्षारोपण कार्यकम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह		
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन		
	(ग)	एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 तक		
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी-फरवरी, 2023		

On

Bonunder

Q.P.M. Sh

Detom

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

1

/	i T	विवरण	तिथियाँ	
F	अवकाश			
\vdash	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक	
	(ब)	दीपावली अवकाश (3 दिन)	24.10.2022 से 26.10.2022 तत्क	
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2022 से 26.12.2022 तक	
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2023 से 15.062023 तक	
13	आंत	रेक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2022	
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2022	
	3	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022	
	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 नवम्बर, 2022	
	5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2022	
	6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर, 2022	
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जनवरी, 2023	
14	वार्षि	क परीक्षा कार्यक्रम		
	. 1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी, 2023	
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से	

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :--

- 1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है विना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
- एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
- 4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
- 5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
- 6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

02

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिशा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

2

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर (1/111/V/V11/1X सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रकिया	16 जून से 30 जून, 2022	
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई, 2022	16 जनवरी, 2023
प्रायोगिक परीक्षाएँ	24 नवम्बर, 2022 से	24 अप्रैल, 2023 रो
परीक्षा पूर्व तैयारी	25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक	25 अप्रैल, 2023 रो 10 मई, 2023 तय
लिखित परीक्षाएँ	11 दिसम्बर, 2022 से	11 मई, 2023 से
परीक्षा परिणाम	15 जनवरी, 2023	15 जून, 2023

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

- प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह प्रातः कालीन पाली के लिए – 1.
- प्रातः १०:३० से ०५:३० संध्या द्वितीय कालीन पाली के लिए – 2.
- 07 घण्टे का कार्य विवरण 3.

6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

- समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात 4. आयोजित की जावे।
- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य 5. का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं 6. विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ Alfor

प्रदान करेंगें।

02

Barringer R.F.1-1 S.2

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नचा रायपुर (छ.ग.)

179

4

यदि पाठ्यकम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अल्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8.

आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रीत्यमिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

52

अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.गू.)

प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर २०२२-२३

		विवरण	तिषियाँ
		ातिस्त (पहालिसालस स्तर घर)	
R.	1000	शकाया प्रथम वर्ष हेतु	16.06,2022 君 16.08.2022 司政
	(191) (188)	अल्य कत्ताओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(11)	प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से	
-	197	ते की अनुमति से प्रवेश की अतिम तिथि	26 अगस्त, 2022 तक
2.		त कथाचे प्रारंभ	01.07.2022 से
3.	निवाम	परीक्षाओं का आयोजन	11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023
L.	याचिक	पराताला का का का घोषणा विंक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2023 तक
5.	सभा म	प्रांकन को सभी परिणामों की घोषणा	31.08.2023 तक
÷.	duña	ररीता का आयोजन	न्यूनतम समय में
7.	dice.	ररीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2023 तक
1.	dea.	य गतिविधियाँ	
8.	(36)	छात्रसंध मठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंध गठन हेतु चुनाव/मनोनव्वन, शासन के निर्देशानुसार
10.	खेलकु	ब एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :-	
	(35)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से
1	(B)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 নক
1	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 विसम्बर, 2022 में से कोई वो विन
TI.	एन सी	. सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :-	
	(ആ)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह
	(ল)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन
	(ग)	एनसीसी/एनएसएस केम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 लक
	(u)	बीक्षान्त समारोह	जनवरी-फरवरी, 2023
12.	अवका	पा	
	(31)	बज्राहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक
	(व)	दीपावली अवकाश (३ दिन)	21, 10, 2022 से 26, 10, 2022 तक
	(त)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	34.12.2022 से 26.12.2022 तक
	(11)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	1 15 2023 से 15.06.2022 तक
13.	आंतरि	क परीक्षाओं का कार्यक्रम	
	1	प्रयम यूनिट परीक्षा	01.09.2022
	2	दितीय यूनिट परीक्षा	30,09.2022
	3	त्तीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022
1	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 मतम्बर, 2022
- [5	चतुर्थ यूनिट परीका	19.12.2022
	6	दितीय तत्र/संमेस्टर परीका	28, 29 30 दिसंबर, 2022
	3	प्री-फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जानवरी, 2023
14.	धार्विक	परीक्षा कार्यक्रम	B 1077
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी, 2023 मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	HIM, 2024 SHIT COM

Department of Mathematics Academic Calender 2022-23

S. NO.	EVENT NAME	DATE
1.	ESSAY COMPETITION	30/07/2022
2.	TEACHERS DAY	06/09/2022
3.	NATIONAL NUTRITION WEEK	14/09/2022
4.	FEVICRYL WORKSHOP	19/09/22 to 1/10/22
5.	GARBA CELEBRATION	01/10/2022
6.	YOUTH FESTIVAL	10/01/2023 TO
		13/01/2023
7.	MADHAVA MATHEMATICS	29/01/2023
	COMPETITION 2023	
8.	SASHAKTI PROGRAM	27/01/2023 TO
		01/02/2023
9.	MATHEMATICS DAY CELEBRATION	20/02/2023
10.	NATIONAL SCIENCE DAY	24/02/2023
11.	FAREWELL PARTY	07/04/2023
12.	EDUCATIONAL TOUR	05/05/2023

Academic Calender 2022-23

S.N o	Date	Title of program	Chief Guest
1	23/08/2022	Guest Lecture at Govt.V.Y.T.P.G college (M.O.U)	Prof.K.V.R Chary and Prof.S.B.Jonalagadd a
2	5/09/ 2022	Teacher's day celebration	Dr Sandhya Madan Mohan
3	10/09/2022	Inauguration of Physical association	Dr D.S.Raghuvanshi
4	22/09/2022	Programme on e- waste management and awareness	Dr Santosh Kumar Sar
5	22/08/2022	Commencement of P.G Classes.	
6	Last week of November	Internal exam	
7	First week of January 2023	Semester II &IV	
8	First week of April 2023	Started Internal exam	

TO, THE PRINCIPAL, BHILAI MAHILA MAHAVIDAYALA,BHILAI

ACADEMIC DETAILS 2022-2023					
	CLASSES				
DATE	DATE DESCPRITION				
01-Jul-22	START THIRD SEMESTER CLASSES				
ONWARDS FIRST COUNSELLING	START FIRST SEMESTER CLASSES				
AFTER FIRST SEMESTER EXAM	WITHIN 15 DAYS SECOND SEMESTER STARTED				
AFTER THIRD SEMESTER EXAM	WITHIN 15 DAYS FOURTH SEMESTER STARTED				
	ASSIGNMENT				
EVERY END OF MONTH	SHORT ATTDENCE CANDIDATES				
01-Jul-22	THIRD AND FIRST SEMESTER				
tentative feb	SECOND AND FOURTH SEMESTER				
	SEMINAR				
DECEMBER	COMPULSORY PRESENTATION				
	TEACHING				
OCTOBER ONWARDS	TEACHING FOR THIRD SEMESTER				
FEBRUARY ONWARDA OBSERVATION FOR SECOND SEMESTER					
	TEST				
	FIRST AND THIRD SEMESTER				
11-Jul-22	MONDAY TEST				
18-Jul-22	MONDAY TEST				
25-Jul-22	MONDAY TEST				
01-Aug-22	MONDAY TEST				
08-Aug-22	MONDAY TEST				
22-Aug-22	MONDAY TEST				
29-Aug-22	MONDAY TEST				
12-Sep-22	MONDAY TEST				
19-Sep-22	MONDAY TEST				
17-Oct-22	MONDAY TEST				

,

JANUARY MODEL EXAM			
UNIVERSITY DECLARED	FINAL EXAMINATION		
	SECOND AND FOURTH SEMESTER		
06-Feb-23	MONDAY TEST		
13-Feb-23	MONDAY TEST		
20-Feb-23	MONDAY TEST		
27-Feb-23 MONDAY TEST			
14-Mar-23	MONDAY TEST		
20-Mar-23 MONDAY TEST			
27-Mar-23	MONDAY TEST		
03-Apr-23	MONDAY TEST		
10-Apr-23 MONDAY TEST			
MAY MODEL EXAM			
UNVERSITY DECLARED FINAL EXAMINATION			
(HOLIDAYS AND VACATION ARE INSTRUCT AS PER COLLEGE, UNVIERSITY AND STATE GOVERNMENT NOTICE)			

	ACADEMIC AND A	CTIVITY CALENDER 2	022-2023
DATE	EVENT	ΑCTIVITY	INCHARGE
		ACTIVITY JULY 2022	
12-Jul-22	Paper Bag Day	Making Paper Bag	All TEACHERS
15-Jul-22	World Youth Day	Best out of Waste copetition	All TEACHERS
20-Jul-22	International Chess Day	Chess Competition	All TEACHERS
26-Jul-22	Kargil Vijay Diwas	Speech Competition	All TEACHERS
30-Jul-22	International Friendship Day	Story Telling About our Friends	All TEACHERS
		ACTIVITY AUGUST 2022	
15-Aug-22	Independence Day	Samarpan	All TEACHERS
0		Collage competition of your group	
19-Aug-22	World Photographic Day	activity	All TEACHERS
26-Aug-22	Women's Equality Day		All TEACHERS
		CTIVITY SEPTEMBER 2022	
05-Sep-22	TEACHER`S DAY	CELEBRATION ON 7 SEPT	ALL TEACHERS
08-Sep-22	INTERNATIONAL LITERACY DAY	ESSAY COMPETITION	NAAZNEEN BAIG/PREETI BIJHEKAR
14-Sep-22	HINDI DIWAS	QUIZ COMPETITION	HEMLATA SIDAR/ASHA ARYA
21-Sep-22	DAY FOR PEACE& NON VIOLENCE	STORY TELLING	BHAVANA/PREETI BIJHEKAR
	<u> </u>	ACTIVITY OCTOBER 2022	
01-Oct-22	INTERNATIONAL DAY FOR ELDERY	OLD AGE HOME VISIT	ALL TEACHER
02-Oct-22	GANDHI JAYANTI	PRESENTATION ON 3 OCT	NAAZNEEN BAIG/ASHA
11-Oct-22	NATIONAL GIRL CHILD DAY	STREET THEATER	BHAVANA/NAAZNEEN BAIG/HEMLATA SIDA
15-Oct-22	STUDENT DAY/DR.APJ ABDUL KALAM JAYANTI	TEACHER PROGRAM	ALL TEACHER
31-Oct-22	NATIONAL UNITY DAY	HUMAN CHAIN	ALL TEACHER
	<u> </u> A	CTIVITY NOVEMBER 2022	
14-Nov-22	CHILDREN`S DAY/ JAWAHARLAL NEHRU	VISIT TO ORPHANAGE HOME	ALL TEACHER
19-Nov-22	RANI LAKSHMI BAI JAYANTI	PRESENTATION	NAAZNEEN BAIG/PREETI BIJHEKAR
	<u> </u> A	CTIVITY DECEMBER 2022	
01-Dec-22	AIDS DAY	POSTER MAKING COMPETITION	ASHA ARYA/PREETI BIJHEKAR
02-Dec-22	NATIONAL POLLUTION CONTROL DAY	RALLY/SLOGAN	ALL TEACHER
10-Dec-22	HUMAN RIGHTS DAY	SPEECH COMPETION	HEMALATA SIDAR/ NAAZNEEN BAIG

14-Dec-22	WORLD ENERGY CONSERVATION DAY	WORKING MODEL EXHIBITION	ALL TEACHER	
16-Dec-22	VIJAY DIWAS	PATRIOTIC GUEST LECTURE	ASHA ARYA/PREETI BIJHEKAR	
	Α	CTIVITY JANUARY 2023		
01-Jan-23	GLOBEL FAMILY DAY	BEST FAMILY PICTURE COMPETITION	ALL TEACHER(BHAVANA)	
10-JAN23	WORLD HINDI DAY	POETRY COMPETITION(HINDI)	HEMALATA SIDAR/ ASHA ARYA	
11-Jan-23	NATIONAL ROAD SAFETY WEEK	VISIT TO ROAD SAFETY PARK	ALL TEACHER	
12-Jan-23	NATIONAL YOUTH DAY	GUEST LECTURE	BHAVANA/NAAZNEEN BAIG	
23-Jan-23	NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE JAYANTI	PRESENTATION	ASHA ARYA/PREETI BIJHEKAR	
25-Jan-23	NATIONAL VOTER DAY	STREET THEATER	ALL TEACHER	
26-Jan-23	REPUBLIC DAY/Basant Panchmi	SAMRAPAN	ALL TEACHER	
			-	
	A	CTIVITY FEBRUARY 2023		
11-Feb-23	INTERNATIONAL DAY OF HUMAN&GIRL IN SCIENCE	PRESENTATION COMPETITION	NAAZNEEN BAIG/ BHAVANA	
13-Feb-23	NATIONAL DAT OF HOMAN& GIVE IN SCIENCE	ESSAY COMPETITION	HEMLATA SIDAR/PREETI BIJHEKAR	
21-Feb-23	INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY	DECRIPTION ON OUR LANGUAGE	ALL TEACHER (HEMLATA SIDAR)	
21-Feb-23 28-Feb-23	NATIONAL MOTTER LANGUAGE DAT	SCIENCE MODEL	ALL TEACHER (HEMLATA SIDAR)	
28-Feb-25	NATIONAL SCIENCE DAT		ALL TEACHER (TEIVILATA SIDAR)	
		ACTIVITY MARCH 2023		
08-Mar-23	INTERNATIONAL WOMEN DAY	SPEECH ON IDEOL WOMEN IN YOUR LIFE	BHAVANA/NAAZNEEN BAIG	
20-Mar-23	INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS	JOKE COMPETITION	NAAZNEEN BAIG	
21-Mar-23	WORLD POETRY DAY	POETRY COMPETITION(ANY LANGUAGE)	All Teacher	
22-Mar-23	World Water Day	Essay Competition	All Teacher	
	· · · ·	ACTIVITY APRIL 2023		
07-Apr-23	WORLD HEALTH DAY	CARD MAKING COMPETITION	BHAVANA/PREETI BIJHEKAR	
11-Apr-23	NATIONAL SAVE MOTHERHOOD DAY	GUEST LECTURE(GYNECOLOGISTS)	NAAZNEEN BAIG/ ASHA ARYA	
22-Apr-23	EARTH DAY	POSTER & SLOGAN COMPETITION	BHAVANA/NAAZNEEN BAIG	
23-Apr-23	WORLD BOOK AND COPY RIGHT DAY	COVER BOOK COMPETITION	PREETI BIJHEKAR/ASHA ARYA	
02 14-1 22		ACTIVITY MAY 2023		
03-May-23	WORLD LAUGHTER DAY(FIRST SUNDAY)	LAUGHTER YOGA	ALL TEACHER	
08-May-23	MOTHERS DAY RAVINDRANATH TAGORE JAYANTI(25TH BAISAKH)	VIDEO PRESENTATION	KAKOLI SINGHA NAAZNEEN BAIG/ASHA ARYA/KAKOLI SINGHA	
09-May-23	RAVINDRANATH TAGORE JAYAN II(251H BAISAKH)	PRESENTATION	NAAZNEEN BAIG/ASHA ARYA/KAKOLI SINGHA	
	1	ACTIVITY JUNE 2023		
02-Jun-23	MAHARANA PRATAP JAYANTI	STORY COMPETITION	HEMLATA SIDAR/ASHA ARYA	
03-Jun-23	CYCLE DAY	CYCLE COMPETITION	ALL TEACHER	
05-Jun-23	WORLD ENVIROMENT DAY	PLANTATION	ALL TEACHER	
12-Jun-23	ANTICHILD LABOUR DAY	SPREADING AWAENESS	ALL TEACHER	
FRESHER `S	PARTY AFTER 15 DAYS OF COMPLETE ADMISSION	PROCESS		
	BEFORE 15 DAYS OF MODEL EXAM			
		I		
HEAD OF ALL EVEN	IT INCHARGE-Dr MOHANA SUSHANT PANDIT			
HEAD OF ALL CULTURAL PROGRAMME INCHARGE-Mrs HEMLATA SIDAR				
	RT INCHARGE- Mrs KAKOLI SINGHA	-		
COPY TO -:	ADMINISTRATOR ,			
	BHILAI MAHILA MAHAVIDAYALA, BHILAI			